से .... तक बनाम

सन 20 (1) मोंट महतो

M-81/2017

आदेश का क्रम–संख्या 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख --सहित 3
7/9/17	खूंटी थाना अप्राथमिकी सख्या 9/17 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभप पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है । थाना प्रभारी ने द0 प्र0 सं0 की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है । **जमीन का विवरण** ग्राम: खूंटी टोला — खाता: 13 — प्लाट: 655 — रकबा: 0.09 एकड अतः मै .... अनु0 दण्डा0 खूंटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द0 प्र0 सं0 की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ । उभप पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें । दिनांक 22/9/17 को रखें । 07.9.17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूंटी	295 7/9/17

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी

धारा–144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत

वाद सं0 M-81/2016-17

रामनन्दन सोनी बनाम भोट महतो

(3)

02.11.17

आदेश

प्रश्नगत वाद थाना प्रभारी, खूँटी द्वारा प्रथम पक्ष रामनन्दन सोनी पिता स्व0 हरि साहू, सा0 गोविन्दपुर थाना कर्रा, जिला खूँटी एवं द्वितीय पक्ष भोट महतो पिता स्व0 रामनाथ महतो सा0 गानालोया के बीच भूमि को लेकर तनाव एवं विवादं का प्रतिवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

विवादी सम्पत्ति का विवरण एवं चौहदी निम्नवत् है :–

ग्राम	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
खूँटी टोला	13	655	0.09 एकड़

उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विवादी भूमि का दावा संबंधी कागजात प्रस्तुत करने एवं कारण पृच्छा की मांग किया गया। उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में निर्धारित तिथियों को स्वंय एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा एवं कागजात दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष द्वारा विवादी जमीन का निबंधित पट्टा एवं लगान रसीद वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 दाखिल करते हुए अपना दावा प्रस्तुत किया गया एवं कारण पृच्छा में द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि को प्रेमा देवी, पति दुर्गा सिंह से खरीदने वाले डीड को केंसलनामा (रद्द कर दिये जाने) का दलील दिया है। उनके द्वारा द्वितीय पक्ष का भूमि क्रय को अवैध बताया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा भी विवादी भूमि पर दावा के पक्ष में निबंधित केवाला एवं लगान रसीद वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2017–18 दाखिल करते हुए कारणपृच्छा में कहा है कि उनके द्वारा जमीन का क्रय प्रथम पक्ष से पहले है। उन्होंने वर्ष 2007–08 में क्रय किया है, जबकि प्रथम पक्ष वर्ष 2015 में क्रय किये हैं। साथ ही कारण पृच्छा में कहा गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादी जमीन का अंचल अमीन से नापी में द्वितीय पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं का बहस सुना। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष का विवादी भूमि पर पक्का मकान निर्मित होने का जिक्र है परन्तु अंचल कार्यालय से द्वितीय

पक्ष के जमाबंदी एवं भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में कोई प्रतिवेदन [illegible] द्वितीय पक्ष का नामांतरण वाद संख्या 172R27/2007-08 एवं इस पर [illegible] रसीद पर कभी किसी न्यायालय में आपत्ति दायर नहीं किया जाना दर्शाता है कि उभय पक्षों ने अलग–अलग समय में एक खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा बिक्री किये जाने के क्रम में क्रय कर दखल करने का दावा प्रस्तुत करते है। उभय पक्षों द्वारा दाखिल किया गया राजस्व कागजात सक्षम स्तर से निर्गत है। निबंधित केवाला कैंसलनामा कृत है या नहीं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। खाता संख्या 13 का प्लॉट नं0 [illegible] का कुल रकबा 12.20 एकड़ है। प्रथम पक्ष 0.9 डिसमिल एवं द्वितीय पक्ष 20 डिसमिल क्रय किये हैं। उभय पक्ष निबंधित केवाला आधारित चौहदी के अनुरुप अंचल अमीन से सीमांकन अपने उपस्थिति में करवाकर दावा को संपुष्ट कर विवाद का निष्पादन करें। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी